



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- MP/DRG/LST-31/NGP

दिनांक -19/11/2019

प्रेषित- श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा, पट्टेदार

W/O श्री टी.आर.मिश्रा

48/5, मोतीलाल, नेहरू नगर, भिलाई,

जिला-दुर्ग(छ.ग.)-490020

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी नंदिनी खुनदिनी चूना पत्थर खदान 1.92 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 04.10.2019 by undersigned accompanied by Shri T.R Mishra, Owner Representative.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग / चूप /खयो-115/Raipur/2018 dated 25.05.2018 and following deviation was observed during inspection 1. In Para 6.9.9 there was a proposal of drilling one core borehole upto depth 70 meter in 2018-19 is not drilled till date.
35(2)	Every holder of a mining lease shall monitor his mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year, But till date not submitted.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उलंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर